न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास ओम प्रकाश शर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या – 69/2014

1. मालीराम आयु व्यस्क
2. छोटूराम आयु व्यस्क
3. गुलाबी आयु व्यस्क
4. प्रभाती आयु व्यस्क
5. नानची आयु व्यस्क

} पुत्र पुत्रियां भगवानाराम

6. मूलीदेवी पत्नी स्व. भगवानाराम

समस्त जाति जाट निवासी गण पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादीगण/प्रार्थीगण

ब ना म

1. झूथा पुत्र दूदा जाति जाट निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना तहसील दांतारामगढ जरिये शाखा प्रबन्धक

–प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील वादीगण की ओर से
2. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक– 07.05.2018

1. वाद/प्रार्थना पत्र के संक्षित में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम विजयनगर प.मं. पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि उप मद **(A)** वर्तमान खाता सं. 137 खसरा नंबर 1269 रकबा 2.72 है0, 3777 रकबा 0.33 है0, 3781 रकबा 0.64 है0 किता 3 कुल रकबा 3.69 है0, **(B)** खाता संख्या 82 खसरा नंबर 1223 रकबा 0.09 है0, 1267 रकबा 0.01 है0, 1268 रकबा 0.07 है0, 1270 रकबा 2.47 है0, 1271 रकबा 0.10 है0, 3773 रकबा 0.31 है0, 3780 रकबा 0.04 है0, 3789 रकबा 0.60 है0 किता 8 कुल रकबा 3.69 है0 अवस्थित है। जिनमें उप मद (ए) वर्तमान खाता संख्श्या 137 वादीगण के स्व. पिता भगवानाराम के नाम से दर्ज है तथा उप मद (बी) की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है।

Scanned by CamScanner

नक्शा ट्रेस में वादीगण के खसरा नंबर 1269 व आम सड़क के बीच जो नया खसरा नंबर 1271 अंकन किया गया है जबकि वर्तमान में वादी के खसरा नंबर 1269 व आम सड़क के मध्य कोई भूमि नहीं है इसलिए वर्तमान नक्शा ट्रेस में से वर्तमान मौके के अनुसार वादी के खसरा नंबर 1269 के सामने नक्शा ट्रेस में गलत रूप से अंकन खसरा नंबर 1271 को हजफ कर नक्शा ट्रेस भी संशोधन किया जावें।

2. वाद पत्र /आवेदन पेश होने पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलवाना तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 बावजूद तामील असालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री हरदेवाराम सुण्डा ने वकालतनामा पेश किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पत्रांक भूअ/17/2109 दिनांक 21.08.2017 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम विजयनगर के खसरा नंबर 1269 रकबा 2.72 की खातेदारी भगवाना पुत्र दूदा जाति जाट के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार इसी खसरा नंबर में एक गै.मु. चाह बना हुआ है जिसके खसरा नंबर 1267 रकबा 0.01 है0, उक्त खसरा नंबर 1269 में से खसरा नंबर 1268 रकबा 0.07 है0 में प्रार्थी के मकान बने हुए है उक्त नम्बरों में भगवाना पुत्र दूदा का कब्जा है तथा खसरा नंबर 1271 रकबा 0.10 नक्शे में दर्ज है परन्तु मौके पर खसरा नंबर 1271 का रकबा भगवाना पुत्र दूदा व झूथा पुत्र दूदा दोनों काश्तकार के समान रूप से कब्जे में है। खाता दुरूस्ती योग्य है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वकी प्रतिवादी सं. 1 ने तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती किये जाने का कथन किया गया।

4. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पत्रांक भूअ/17/2109 दिनांक 21.08.2017 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम विजयनगर पं.म. पलसाना तहसील दांतारामगढ ग्राम विजयनगर के खसरा नंबर 1269 रकबा 2.72 की खातेदारी भगवाना पुत्र दूदा जाति जाट के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार इसी खसरा नंबर में एक गै.मु. चाह बना हुआ है जिसके खसरा नंबर 1267 रकबा 0.01 है0, उक्त खसरा नंबर 1269 में से खसरा नंबर 1268 रकबा 0.07 है0 में प्रार्थी के मकान बने हुए है उक्त नम्बरों में भगवाना पुत्र दूदा का कब्जा है तथा खसरा नंबर 1271 रकबा 0.10 नक्शे में दर्ज है परन्तु मौके पर खसरा नंबर 1271 का रकबा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर 495 रकबा 15 बिस्वा, 552 रकबा 32 बीघा 9 बिस्वा, 561 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा, 759 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, 890 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 59 बीघा 17 बिस्वा रहे है जो कि विक्रय संवत् 20472 से 2045 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में ग्राम पलसाना तहसील दांतारमागढ में दर्ज रहा है जिसकी खातेदारी वादी के पिता/पति स्व. भगवानाराम, भोमू, झूंथा, गुल्ला पिता दूदा जाति जाट के नाम से दर्ज है। वादग्रस्त संपदा वर्णित मद सं. 1 का जिसके पुराने खसरा नंबर मद सं. 2 में अंकन है, का मद संख्या 3 में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार के समक्ष आपसी सहमति से विधिवत बंटवारा हो चुका है जो तत्समय निम्न तारीख का तैयार हो चुका है– वादग्रस्त आराजी का बंटवारा करते समय वादी के हिस्से में पुराना खसरा नंबर वर्णित मद संख्या 2 के बटा नम्बर क्रमशः 552/1 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, 759/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 890/7 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि आयी थी जिसमें वादी ने खसरा नंबर 552/1 में तत्समय ही पुख्ता मकान बनाये तथा एक कुआ भी बना रखा है जिसमें मकान के वर्तमान खसरा नंबर 1268 रकबा 0.07 है0 तथा कूप के वर्तमान खसरा नंबर 1267 रकबा 0.01 है0 है तथा जो वर्तमान नक्शा ट्रेस में भी वादीगण के खसरा नंबर 1269 के हिस्से में अंकन है तथा मौके पर भी वादीगण उक्त खसरा नंबर 1268 रकबा 0.07 पुख्ता आवासीय मकान बनाकर अपने परिवार सहित आवास निवास कर रहे है तथा कूप खसरा नंबर 1267 रकबा 0.01 है0 जिसका विद्युत सम्बन्ध भी वादीगण के पिता स्व. भगवानाराम के नाम से दर्ज है, जिससे वादीगण फसल की सिंचाई कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि वर्णित मद सं. 1 जिसके पुराने खसरा नंबर मद सं. 2 में वर्णित है, का विधिक रूप से बंटवारा होने के पश्चात् ना.करण सं. 2067/01.01.1990 द्वारा पुराने खसरा नंबरान के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद हो गया। हाल ही हुए सैटलमेंट के दौरान प्रतिवादी सं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर वादी के मकान व कूप, जो कि वादीगण के पुराने खसरा नंबर 552/1 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में अवस्थित थे तथा जिसके नये खसरा नंबर 1268 रकबा 0.07 है0 तथा 1267 रकबा 0.01 है0 बने, को अपने हिस्से में वर्तमान जमाबंदी में अंकन करवा लिया जबकि नया खसरा नंबर 1267 व 1268 पुराने खसरा नंबर 552/1 से बने है, अब भी वादीगण के वर्तमान खसरा नंबर 1269 में अवस्थित है तथा उनकी भौतिक स्थिति भी वादीगण के कब्जे काश्त तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस में अंकन है। वादीगण उक्त दोनों 1267, 1268 खसरा नंबरान को, जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रतिवादी सं. 1 के खाता सं0 नया 82 में अंकन हुए है, को प्रतिवादी के खाता सं.

Scanned by CamScanner

नया 82 ग्राम विजयनगर प.मं. पलसाना में से हजफ करवाकर अपने वर्तमान खाता सं. 137 नया में अंकन करवा कर अपने वर्तमान खाता सं. 137 नया में अंकन करवा कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संशोधन करवाने का अधिकारी है। वर्तमान खसरा नंबर 1271 रकबा 0.10 हे0 पुराने खसरा नंबर 552/1 व 552/2 से बना है जिसमें वादीगण के खेत मुख्य रास्ते पर खुल रहे है लेकिन प्रतिवादी सं. 1 राजस्व कर्मचारियों से साज कर हाल हुए सैटलमेंट के दौरान वादी के खसरा नंबर 552/2 रकबा 0.10 बिस्वा जिसके वर्तमान नंबर 1269 बने है के सामने दक्षिणी दिशा में नया खसरा नंबर नक्शा ट्रेस में 1271 अंकन करवा लिया जो कि गलत है तथा वादीगण के विधिक अधिकारों पर गलत प्रभाव डाल रहा है। वर्तमान में मौके पर वादी के खसरा नंबर 1269 के सामने आम सड़क है खसरा नंबर 1271 जैसी कोई भूमि नहीं है इसलिए वादीगण वर्तमान नक्शा ट्रेस में अपने खसरा नंबर 1269 के समक्ष से खसरा नंबर 1271 जो नक्शा ट्रेस में दर्शाया है उसको मौके अनुसार खसरा नंबर 1269 के सामने से नक्शा ट्रेसे हजफ करवा कर नक्शा ट्रेस भी संशोधन करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त संपदा राजस्व ग्राम विजयनगर प.मं. पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 भी ग्राम विजयनगर के ही निवासी है इसलिए माननीय न्यायालय को वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है। वाद्रस्त खसरा नंबर 1267, 1268 की रिकार्ड में संशोधन हेतु तथा खसरा नंबर 1271 का नक्शा ट्रेस में संशोधन हेतु वादीगण के पिता स्व. भगवानाराम ने कई दफा प्रतिवादी सं. 1 से निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी सं. 1 केवल आश्वासन देता रहा तथा अर्सा करीब 20 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गया। वादीगण के पिता/पति की मृत्यु दिनांक 2503. 2014 को हो जाने के कारण हस्तगत वाद पत्र वादीगण जो कि स्व. भगवाना के विधिक वारिसान है, के द्वारा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण 20 रोज पूर्व उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी ने वादग्रस्त खसरा नंबर का रिकार्ड संशोधन करवाने हेतु स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया, तब से लगातार जारी है। प्रतिवादी सं. 3 के यहां भूमि रहन है इसलिए पक्षकार बनाया है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावें। वादग्रस्त खसरा नंबर 1267 रकबा 0.01 हे0 कूप व खसरा नंबर 1268 रकबा 0.07 हे0 जिसमें वादीगण के मकान बने है (जिनके पुराने खसरा नंबर 552/1 है तथा वर्तमान में वादी के हिस्से में है) को प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खाता सं. 82 में से हजफ कर वादीगण के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वर्तमान खाता सं. नया 137 (पुराना 79) में अंकन कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावें। वादीगण के वर्तमान खसरा नंबर 1269 जो कि दक्षिण दिशा में आम सड़क पर खुल रहा है राजस्व रिकार्ड

80

Scanned by CamScanner

नक्शा ट्रेस में वादीगण के खसरा नंबर 1269 व आम सड़क के बीच जो नया खसरा नंबर 1271 अंकन किया गया है जबकि वर्तमान में वादी के खसरा नंबर 1269 व आम सड़क के मध्य कोई भूमि नहीं है इसलिए वर्तमान नक्शा ट्रेस में से वर्तमान मौके के अनुसार वादी के खसरा नंबर 1269 के सामने नक्शा ट्रेस में गलत रूप से अंकन खसरा नंबर 1271 को हजफ कर नक्शा ट्रेस भी संशोधन किया जावें।

2. वाद पत्र /आवेदन पेश होने पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलवाना तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 बावजूद तामील असालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री हरदेवाराम सुण्डा ने वकालतनामा पेश किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पत्रांक भूअ/17/2109 दिनांक 21.08.2017 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम विजयनगर के खसरा नंबर 1269 रकबा 2.72 की खातेदारी भगवाना पुत्र दूदा जाति जाट के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार इसी खसरा नंबर में एक गै.मु. चाह बना हुआ है जिसके खसरा नंबर 1267 रकबा 0.01 है0, उक्त खसरा नंबर 1269 में से खसरा नंबर 1268 रकबा 0.07 है0 में प्रार्थी के मकान बने हुए है उक्त नम्बरों में भगवाना पुत्र दूदा का कब्जा है तथा खसरा नंबर 1271 रकबा 0.10 नक्शे में दर्ज है परन्तु मौके पर खसरा नंबर 1271 का रकबा भगवाना पुत्र दूदा व झूथा पुत्र दूदा दोनों काश्तकार के समान रूप से कब्जे में है। खाता दुरूस्ती योग्य है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वकी प्रतिवादी सं. 1 ने तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती किये जाने का कथन किया गया।

4. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पत्रांक भूअ/17/2109 दिनांक 21.08.2017 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम विजयनगर पं.म. पलसाना तहसील दांतारामगढ ग्राम विजयनगर के खसरा नंबर 1269 रकबा 2.72 की खातेदारी भगवाना पुत्र दूदा जाति जाट के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार इसी खसरा नंबर में एक गै.मु. चाह बना हुआ है जिसके खसरा नंबर 1267 रकबा 0.01 है0, उक्त खसरा नंबर 1269 में से खसरा नंबर 1268 रकबा 0.07 है0 में प्रार्थी के मकान बने हुए है उक्त नम्बरों में भगवाना पुत्र दूदा का कब्जा है तथा खसरा नंबर 1271 रकबा 0.10 नक्शे में दर्ज है परन्तु मौके पर खसरा नंबर 1271 का रकबा

Scanned by CamScanner

भगवाना पुत्र दूदा व झूथा पुत्र दूदा दोनों काश्तकार के समान रूप से कब्जे में है। अतः तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर की रिपोर्ट के मुताबिक व पुराने रिकार्ड खसरा नंबर 552/1 के अनुसार ग्राम विजय नगर प.मं. पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के वर्तमान खसरा नंबर 1267 रकबा 0.01 है0 व खसरा नंबर 1268 रकबा 0.07 है0 प्रतिवादी सं. 1 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खाता सं. 82 में से हजफ कर वादीगण के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वर्तमान खाता सं. 137 (पुराना 79) में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 1271 रकबा 0.10 है. कब्जे अनुसार खातेदारी संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अंतर रकबे की स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार वादी से वसूल की जावें। तदनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 07.05.2018 न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प अलोदा में लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner